फर्द अहकाम

न्यायालय ——————————————————

—————————— बनाम ——————————

मुकदमा संख्या / वर्ष : ——————— / 20

क्र०सं०	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष टिप्पणी
	9/10/19	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र O6R17 व 18 पर उभय पक्षों की सहमति से स्वीकार किया जाता है। वादी के वकील ने संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया। प्रार्थना पत्र O1R10(2) CPC-1908 को भी उभय पक्षों की सहमति से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 Raj. Act सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 एवं धारा 151 CPC का पेश किया जो शामिल है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की स्वीकृति दी साथ ही दस्तावेज सूची पेश की जो शामिल है। अप्रार्थी नं. 5 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही मूलवाद में की। उभय पक्षों के अधिवक्ताओं की सहमति के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 212 Raj. Act को मूलवाद के तस्फिया तक कन्फर्म किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को मूलवाद के तस्फिया तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है के वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 72, 73, 99, 134, 98 वाके ग्राम साऊसीरान तहसील जमवारामगढ़ जि. जयपुर में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी ना करे वाद शर्त और	

उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

फर्द अहकाम

न्यायालय ____________________

____________________ बनाम ____________________

मुकदमा संख्या/वर्ष : ____________ / 20 ____________

क्र0स0	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		का बेचान, रहन, दान, परकशीभ, इकरार नहीं किया जावे व बिना की भूमि में उपयोग, उपभोग में किसी भी प्रकार की दखलन्दाजी ना करे, राजस्व रिकार्ड इन्द्राज की यथास्थिति कायम रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नकल के बाद हो बाद पूर्ति तामील उपरान्त हो। अत पत्रावली मुलाहिजा के साथ संलग्न किया जावे। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)	

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2019.11.25 11:35:51 IST
Reason: SelfAttested
Location: